न्यायालय अतिरिक्त सम्भागीय आयुक्त, जयपुर

नाम पीठासीन अधिकारी– श्री बाबूलाल गोयल।
अपील संख्या 17/2019 जिला दौसा।

रमेशचन्द पुत्र गोकुल जाति कण्डेरा निवासी ग्राम आलूदा तहसील नांगल राजावतान जिला दौसा राज0।

अपीलान्ट

बनाम

1. श्रीमति रूकमणी देवी पुत्री गोकुल पत्नि रामेश्वर जाति कण्डेरा निवासी लूणीयावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0। (मृतक)
1/1. जगदीश
1/2. रामसिंह
पुत्रान श्रीमति रूकमणी देवी पत्नी रामेश्वर
1/3. उर्मिला
1/4. सीता
पुत्रीयान श्रीमति रूकमणी देवी पत्नी रामेश्वर
1/5. रामेश्वर प्रसाद पुत्र गोकुल
समस्त जाति कण्डेरा निवासी लूणीयावास तहसील सांगानेर जिला जयपुर राज0।
2. श्रीमती पुष्पा देवी पुत्री गोकुल पत्नि रामकिशन जाति कण्डेरा निवासी दयालपुरा तहसील वस्सी जिला जयपुर राज0।
3. श्रीमती राधा देवी पुत्री गोकुल पत्नि रेवडमल जाति कण्डेरा निवासी वस्सी जिला जयपुरा राज0।

रेस्पोडेन्टस्

अपील विरूद्ध निर्णय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा दिनांक 06.06.2018 अन्तर्गत राजस्थान भू राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 76 अन्तर्गत प्रथम अपील 17/2011

उपस्थित–
1. अधिवक्ता अपीलान्ट श्री उमेश गौड।
2. अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 01 एवं 02 श्री महेन्द्र कुमार शाहू।

निर्णय

दिनांक–17.08.2021

1. यह द्वितीय अपील उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा के निर्णय दिनांक 06.06.2018 के खिलाफ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ दिनांक 25.06.2019 को प्रस्तुत हुई है।
2. प्रकरण के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार है कि उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा शीर्षक अपील संख्या 17/2011 उनवान रूकमणी देवी बनाम रमेशचन्द में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2018 के द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 607 दिनांक 28.10.2001 ग्राम आलूदा निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया कि मृतक खातेदार रेवडया पुत्र धन्ना के विधिक वारिसान की जांच कर, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करे।
3. न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा के उक्त अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2018 से व्यथित होकर अपीलान्ट् द्वारा प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 05 मियाद अधिनियम के साथ अपील प्रस्तुत कर अपील अपीलान्ट् स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2018 को निरस्त किये जाने की प्रार्थना की।
4. अपील प्रस्तुत होने पर रेस्पोंडेन्ट्स की तलबी की गई। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड तलब किया गया। रेस्पोडेंटस् 03 की ओर से कोई उपस्थित नही हुआ। अधिवक्ता अपीलांट् एवं अधिवक्ता रेस्पोडेंट संख्या 1 एवं 2 उपस्थित। अधिवक्ता उभयपक्ष की बहस सुनी गई।

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

5. अपीलान्ट् के योग्य अधिवक्ता ने बहस के दौरान अपील मीमों में अंकित तथ्यों को दौहराते हुये मुख्य रूप से कथन किया कि आराजीयात खसरा नम्बर 201 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा वाके ग्राम आलूदा तहसील दौसा स्व0 भौरा व रेवडिया पुत्र धन्ना कण्डेरा निवासी आलूदा की खातेदारी की भूमि थी। अपीलांट स्व0 भौरया के पुत्र गोकुल का पुत्र एवं प्रत्यर्थीगण स्व. भौरया की विवाहित पुत्रीयां है। स्व0 गोकुल की पत्नि के देहान्त के वाद उसने नाता किया था प्रत्यर्थी संख्या एक दूसरी पत्नि के पूर्व पति की पुत्री है जो साथ आई थी। अपीलांट व प्रत्यर्थीगण संख्या दो व तीन स्व0 गोकुल की संताने है। स्व0 गोकुल का निधन सन 1973 में होने के बाद उसके हिस्सा 1/2 की भूमि का नामान्तकरण संख्या 640 अपीलांट के नाम दिनांक 3.6.1973 को ग्राम पंचायत आलूदा द्वारा अपीलांट के नाम तस्दीक किया गया था। अपीलांट उक्त भूमि पर वहैसियत खातेदार काविज चला आ रहा है। हिस्सा 1/2 के हिस्सेदार रेवड पुत्र धन्ना की मृत्यु सन् 2001 में हो गई। स्व0 रेवड के कोई संतान नही थी उसकी पत्नि का भी देहान्त हो चुका है। अपीलांट स्व0 रेवड का एक मात्र उत्तराधिकारी होने के कारण उसके हिस्से की भूमि का नामान्तकरण संख्या 607 ग्राम पंचायत आलूदा द्वारा अपीलांट के नाम दिनांक 28.10.2001 को तस्दीक किया गया। अधिनस्थ न्यायालय ने अपीलांट एवं रेस्पोडेंट संख्या तीन के विरूद्ध रेस्पोडेंट् संख्या एक व दो द्वारा प्रस्तुत अपील को वना सूचना व सुनवाई का असवर दिये दिनांक 6.6.2018 को आलूदा राजस्व अभियान शिविर में एक पक्षीय निर्णय पारित कर दिया गया। अधिनस्थ न्यायालय में रेस्पोडेंट संख्या एक ओर दो द्वारा शीर्षक अपील नामान्तकरण संख्या 640 के विरूद्ध दिनांक 30.8.2011 को 38 वर्ष वाद व नामान्तकरण संख्या 607 के विरूद्ध 10 वर्ष वाद असाधारण विलम्ब के वाद प्रस्तुत की गई है जिस पर अधिनस्थ न्यायालय द्वारा विचार नही किया। रेस्पोडेंट संख्या एक ओर दो द्वारा अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत वाद अपीलांट के विरूद्ध विचाराधीन है। जिसमें पक्षकारान के अधिकारो का विनिश्चय गुणावगुण के आधार पर होना शेष है। सक्षम न्यायालय में नियमित वाद विचाराधीन होते हुये नामान्तकरण जैसी फिसकल कार्यवाही नही हो सकती है। अपीलांट द्वारा शीर्षक अपील में प्रार्थना पत्र आदेश 41 नियम 27 प्रस्तुत किया गया था जिस पर अधिनस्थ न्यायालय ने विचार नही किया। अधिनस्थ न्यायालय द्वारा नामान्तकरण संख्या 607 दिनांक 28.10.2001 ग्राम आलूदा में पारित प्रश्नगत निर्णय दिनांक 06.06.2018 विधि प्रकिया, नियम तथ्य एवं न्याय के सामान्य सिद्धांतो के विपरीत पारित किया गया है जो निरस्तनीय है। अतः अपील अपीलांट् स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा नामान्तकरण संख्या 607 दिनांक 28.10.2001 ग्राम आलूदा में पारित निर्णय दिनांक 06.06.2018 को निरस्त किया जावे। अधिवक्ता अपीलांट् ने प्रार्थना पत्र धारा 05 मियाद अधिनियम के तथ्यो को दोहराते हुये कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 06.06.2018 का है लेकिन अपीलांट् को जानकारी का अभाव होने के कारण अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी नही थी तथा अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय की जानकारी दिनांक 14.06.2019 को हुई है। ऐसी स्थिति में अपीलांट् का प्रार्थना पत्र धारा 05 भी स्वीकार फरमाया जावे।

6. रेस्पोडेंट के योग्य अधिवक्ता ने अपील के तथ्यो को अस्वीकार करते हुये मुख्य रूप से कथन किया है कि अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा विधिक प्रकिया अपनाते हुये ही नामान्तकरण संख्या 607 दिनांक 28.10.2001 ग्राम आलूदा के संबंध में अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2018 पारित किया है। जिसमें कोई त्रुटि नही है। अतः अपील अपीलांट् खारिज फरमायी जावे।

7. मैनें प्रकरण के अभिलेख को देखा एवं प्रकरण के तथ्यों पर विचार किया। अपीलांट्स के योग्य अधिवक्ता की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का गहनतापूर्वक अवलोकन किया गया। सर्वप्रथम अपील के साथ प्रस्तुत धारा 5 मियाद अधिनियम के प्रार्थना पत्र को निर्णित करना हम उचित समझते है। प्रकरण के तथ्यों तथा अपीलान्टस् के प्रार्थना पत्र धारा 5 में अंकित तथ्यों को दृष्टिगत रखते हुये तथा रेस्पोंडेन्टस् द्वारा इसके विरोध में कोई शपथ पत्र प्रस्तुत नहीं करने एवं मियाद के संबंध में नरम रूख अपना कर प्रार्थना पत्र धारा 5 मियाद अधिनियम स्वीकार किया जाकर अपील प्रस्तुत करने में हुये विलम्ब को क्षमा किया जाता है। प्रकरण में मुख्य विवाद मृतक खातेदार रेवड पुत्र धन्ना की विरासत के नामान्तरकरण संख्या 607 दिनांक 28.10.2001 ग्राम पंचायत आलूदा के संबंध में है। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के अवलोकन से प्रतीत होता है कि रेस्पोडेंट् संख्या 1 एवं 2 के द्वारा अधीनस्थ

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा के समक्ष अपील पेश कर निवेदन किया कि ग्राम आलूदा में स्थित कृषि भूमि खसरा नम्बर 201 रकबा 12 बीघा 5 बिस्वा के 1/2 हिस्से की खातेदारी अपीलांट के पिता गोकुल के चाचा रेवड पुत्र धन्ना के नाम थी जो नाओलाद फोत हो गया। रेवड का देहान्त होने के पश्चात उसके उत्तराधिकारियो अपीलांट नं0 1 व 2 एवं रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 है परन्तु रेवडया के देहान्त के पश्चात रेस्पोडेंट संख्या 01 रमेश चन्द ने विरासत का नामान्तकरण सरंपच ग्राम पंचायत आलूदा से केवल मात्र अपने नाम नामान्तकरण संख्या 607 दिनांक 28.01.2001 तस्दीक करवा लिया। अतः उक्त नामान्तकरणो को निरस्त कर अपीलांट संख्या 1 व 2 तथा रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के पक्ष में नामान्तकरण तस्दीक किया जावे। अपीलांट् (वर्तमान रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2) द्वारा प्रस्तुत प्रार्थन पत्र एवं रिकार्ड का अवलोकन कर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा अपील स्वीकार कर नामान्तकरण संख्या 607 दिनांक 28.10.2001 ग्राम आलूदा निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया गया कि मृतक खातेदार रेवडया पुत्र धन्ना के विधिक वारिसान की जांच कर, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करे।

8. हम समझते हैं कि प्रकरण मृतक खातेदार रेवड पुत्र धन्ना की विरासत के नामान्तकरण का होने के कारण रेस्पोंडेन्ट् संख्या 01 एवं 02 के प्रार्थना पत्र पर अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा ने अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2018 पारित कर नामान्तकरण संख्या 607 दिनांक 28.10.2001 ग्राम आलूदा को निरस्त कर प्रकरण तहसीलदार नांगल राजावतान जिला दौसा को इस आशय के साथ रिमाण्ड किया जाकर कि मृतक खातेदार रेवडया पुत्र धन्ना के विधिक वारिसान की जांच कर, सुनवाई का अवसर प्रदान करते हुये पुनः विधिसम्मत आदेश पारित करने के आदेश प्रदान किये है जो उचित एवं विधिसम्यक है। इसके अतिरिक्त अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील में वादग्रस्त भूमि के हक अधिकार संबंधी वाद विचाराधीन होने का आधार लिया गया है। उक्त आधार वादग्रस्त नामान्तकरण संख्या 607 की वैधता को चुनौति दिये जाने हेतु पर्याप्त आधार नही है। विधि का यह सुस्थापित सिद्धांत है कि नामान्तकरण द्वारा कृषि भूमि में हक अधिकारो का निर्धारण नही किया जा सकता है। जहॉ तक हक अधिकार संबंधी नियमित वाद सक्षम न्यायालय में विचाराधीन होने का प्रश्न है, वादग्रस्त नामान्तकरण उक्त वाद में बाधक नही है। इस प्रकार अपीलाधीन आदेश पारित करने में कोई सारभूत विधिक त्रुटि कारित किया जाना नही पाया जाता है। हम अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा नामान्तकरण संख्या 607 दिनांक 28.10.2001 ग्राम आलूदा में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2018 में कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से उसमें हस्तक्षेप किया जाना उचित नहीं समझते हैं तथा अपीलांट् द्वारा प्रस्तुत अपील सारहीन होने से खारिज किये जाने योग्य है तथा अपीलाधीन आदेश बहाल रखे जाने योग्य है।

9. अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट् खारिज की जाती है तथा अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नांगल राजावतान जिला दौसा द्वारा अपील संख्या 17/2011 में नामान्तकरण संख्या 607 दिनांक 28.10.2001 ग्राम आलूदा के संबंध में पारित अपीलाधीन आदेश दिनांक 06.06.2018 यथावत रखा जाता है। अधीनस्थ न्यायालय का रेकार्ड निर्णय की प्रति के साथ पालनार्थ लौटाया जावे। इस न्यायालय की पत्रावली फैसल शुमार होकर बाद पूर्ति लेख भण्डार हो।

17/8/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

10. निर्णय आज दिनांक 17.08.2021 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

17/8/2021

(बाबूलाल गोयल)
अति. सम्भागीय आयुक्त
जयपुर

Scanned by CamScanner

संशोधित आदेश

आदेश दिनांक 06.09.2021 की अनुपालना में निर्णय के पृष्ठ संख्या 01 में अंकित रेस्पोडेन्ट संख्या 115 का नाम रामेश्वर पुत्र गोकुल के स्थान पर भामेश्वर पुत्र नारायण अंकित किया जाता है।

6/9/2021.

अतिरिक्त संभागीय आयुक्त
जयपुर